

निरीक्षण आख्या।

आज दिनांक 21-08-2015 को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में बगडवार बैण्ड से दूनी (बिरसिंग्या) मोटर मार्ग-5.55 कि०मी० (प्रस्तव संख्या-9480/2015) के निर्माण में प्रभावित हो रहे कुल 246 बांज वृक्षों के संदर्भ में क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भवाली के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रभावित होने वाले इन वृक्षों में से कुल 219 वृक्ष प्रभावित होने वाली 3.78 है० आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत है व शेष वन पंचायत भूमि (0.28 है०) में स्थित है।

आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित हो रहे बांज के इन 219 वृक्षों में से 89 वृक्ष 0-10 व्यास श्रेणी के हैं, जबकि वन पंचायत क्षेत्र में प्रभावित हो रहे 27 बांज वृक्षों में से 25 वृक्ष 0-10 व्यास श्रेणी के हैं। निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि बगडवार बैण्ड से प्रारम्भ होकर दूनी व बिरसिंग्या गांव के लिए एक खड़जा पूर्व से ही निर्मित है और इस प्रस्तावित मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन सामान्यतः इसी खड़जा को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित मार्ग से 4 गांव कमशः च्युरीगाड, पुरगांव, दूनी व बिरसिंग्या के कुल 2266 परिवार लाभान्वित होने हैं। प्रस्तावित मार्ग की कुल 5.50 कि०मी० की लम्बाई में 0-10 व्यास श्रेणी के वृक्षों को छोड़ने पर आरक्षित वन क्षेत्र में कुल 130 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, इनमें से भी 87 वृक्ष 10-20 व्यास श्रेणी के हैं जिनका भी प्रत्यारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रभावित होने वाले बांज वृक्ष मार्ग की पूरी लम्बाई में विखरे हुए हैं और इनका पातन अपरिहार्य है।

क्षेत्र की आवश्यकता व प्रस्तावित समरेखन को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल।

कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

पत्र संख्या 430 / 13-1 दिनांक, नैनीताल, 21-08-2015.

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल।

2- अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग भवाली।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,

दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, नैनीताल।